



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

पत्रांक: 526/20/संविदा-नियुक्ति/अधि0/2022-23

दिनांक : 20 नवम्बर, 2023

आयोग कार्यालय में सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति विषयक विस्तृत विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समन्वयक एवं सहायक समन्वयक के निःसंवर्गीय श्रेणी के पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की दिनांक 29.02.2024 तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा पदों की समाप्ति जो भी पहले हो, की अवधि के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक आवेदकों द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक अर्हता एवं सेवा संबंधी विवरण एवं अंतिम आहरित वेतन स्लिप की छायाप्रति आयोग कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही कार्य अनुभव संबंधी साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी।

निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी तथा उक्त सूची के साथ ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के संबंध में अवगत कराया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा की तिथि के संबंध में आवेदकों को पृथक से डाक द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

क्र० सं०	पदनाम	मासिक नियत मानदेय	पदों की संख्या	अनिवार्य योग्यता
01	समन्वयक	सेवानिवृत्ति की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्ध वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय देय होगा जिसमें कोई मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।	02	<ol style="list-style-type: none">1. वेतनमान लेवल-8 से लेवल-10 तक में सेवानिवृत्त कार्मिक।2. राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/शैक्षणिक संस्थान में प्रधानाचार्य/ अनुभाग अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक/ लेखाधिकारी/ समीक्षा अधिकारी एवं समकक्ष अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त स्नातक उपाधि धारित सेवानिवृत्त कार्मिक।3. कम्प्यूटर संचालन एवं हिन्दी टंकण का ज्ञान धारित करने वाले आवेदकों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
02	सहायक समन्वयक	सेवानिवृत्ति की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्ध वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय देय होगा जिसमें कोई मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।	11	<ol style="list-style-type: none">1. वेतनमान लेवल-5 से लेवल-7 में सेवानिवृत्त कार्मिक।2. राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/शैक्षणिक संस्थान में सहायक लेखा अधिकारी/ समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी/ प्रधान सहायक/ मुख्य सहायक/ लेखाकार/ सहायक लेखाकार एवं समकक्ष अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त स्नातक उपाधि धारित सेवानिवृत्त कार्मिक।3. कम्प्यूटर संचालन एवं हिन्दी टंकण का ज्ञान धारित करने वाले आवेदकों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी।

नोट:-

- (1) साक्षात्कार परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक अपने साथ वांछित शैक्षिक योग्यता संबंधी अभिलेख, अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र, पेंशन भुगतान आदेश एवं दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ अवश्य लायें।
- (2) अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को पद हेतु योगदान प्रस्तुत करते समय मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं इस आशय का शपथ-पत्र कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त कोई लघु/दीर्घ शास्ति पारित नहीं की गई है तथा कोई जांच प्रचलित नहीं है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) उपरोक्त पदों पर आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है।
- (4) साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (5) पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- (6) पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (7) नियुक्त कार्मिक द्वारा तैनाती के दौरान कदाचारपूर्ण कार्य किया जाता है अथवा अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि तैनात कार्मिक अपनी अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु काफी समय तक अयोग्य रहेगा, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैनात कार्मिक की तैनाती बिना कोई पूर्व सूचना दिये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्त कार्मिक सेवा का त्याग करना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देकर अथवा एक माह के नोटिस के बदले एक माह के वेतन के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिये जितनी एक माह का नोटिस दिये जाने के उपरान्त एक माह की अवधि से कम हो, उनके वेतन के बराबर धनराशि सरकार/सक्षम प्राधिकारी को वापस करते हुए तैनाती का त्याग किया जा सकेगा।
- (8) पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से संबंधित अन्य भत्ते, जो सेवारत रहते हुए उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे।
- (9) पद एवं कार्य की उपयुक्तता के दृष्टिगत अधिक वेतनमान (लेबल) धारित करने वाले आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- (10) अंतिम रूप से चयनित आवेदकों से पद हेतु योगदान प्रस्तुत करते समय अनुबंध पत्र भरवाया जाएगा।

संलग्न: आवेदन का प्रारूप।

sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।